भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 64B/2017-18

1.हेमेन्द्र महतो 2. सनातन महतो 3. सदा महतो **बनाम** 1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13-07-18	(see below)	

13-07-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 251 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 64 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. हेमेन्द्र महतो पिता-स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो उर्फ पुनु महतो 2. सनातन महतो पिता-स्व0 सुरेन महतो 3.सदा महतो पिता स्व0 काला महतो, ग्राम-बाना, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने ऋण परिशोधन हेतु क्रेता 1. प्रमथ महतो 2. धीरेन्द्र नाथ महतो, दोनों के पिता-स्व0 राजा महतो, ग्राम-गोहिरा थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बाना	52	48	188	0.14ए0
		48	198	0.30ए0
		47	197	0.37ए0
		47	202	0.05ए0
				0.86ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता एवं दादाजी के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेताएँ अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदकों के हिस्से में 8.13 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.86 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 7.27 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.86 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

13/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner